(नियम 26)

बअदालत S.D.O मुकाम बनेड़ा

भैरूलाल गुर्जर बनाम हजारी गुर्जर

किस्म मुकदमा 75 LR Act नं. 11/11 सन 2011

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मय	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10-6-17	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम कारोई मे पेश हुई। उभयपक्ष अभिभाषक शिविर मे उपस्थित। वकलाय फरीकेन द्वारा प्रकरण मे बहस प्रस्तुत करना चाहने से बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत अपील पत्र मे समायत बिन्दुओ को ~~अपील~~ अपनी बहस मे दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजियात ग्राम रायसिंहपुरा त० बनेड़ा स्थित आ० नं० 1496, 1497, 1498 रकबा 9-08 बीघा अपीलार्थी व रेस्पोडेन्टस के नाम संयुक्त खातेदारी हक दर्ज रेकार्ड है रेस्पोडेन्टस नं० 1 हजारी गुर्जर के दो पत्नियां सरजू, गंगा गुर्जर थी। हजारी के कोई पुत्र संतान नही होने से श्रीमति सरजु, गंगा गुर्जर के जीवन काल मे ही अपीलार्थी को सामाजिक रिती-रिवाजानुसार ~~लेकर~~ गोद पुत्र लेकर गोदपत्र होने की घोषणा की। अपीलार्थी आराजियात पर काबिज होकर उपभोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रत्यर्थीगण द्वारा पटवारी हल्का से मिलिभगत कर नामान्तरण अपने नाम पर फर्जी करवा लिया, जिसे अजनुवार	

होकर यह अपील पत्र प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा जवाब बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी स्वयं को प्रत्यर्थी क्र० 1 का गोद पुत्र होना दर्शाता है जबकि अपीलार्थी द्वारा अपने अपीलपत्र मे ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वास्तव मे अपीलार्थी श्री हजारी पुत्र का गोदपुत्र है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी अभिभाषक ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि अपीलार्थी का अपीलपत्र बेरून मियाद होने से निरस्त योग्य है। ना० ख० 1310 जिसकी कॉलम ख० 7 मे सरजु पति हजारी, गंगा पति हजारी सा० कोसीरेन की मृत्यूपरान्त अकंन परिवर्तित कर मृतका के वैध प्रतिनिधी पति हजारी पिता उदा और पुत्रीया नारायणी दुर्गा के नाम पर हुए दर्ज अकंन कानुनन, न्यायिक दृष्टी से सही अकंन है महज प्रत्यर्थीगण को परेशान करने की नियत से झुठे तथ्य प्रस्तुत कर यह अपील मेमो प्रस्तुत की गई है। प्रथम दृष्टया अपील बेरून मियाद होने से अस्वीकार होने योग्य है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलेखो का अवलोकन किया एवं अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने अपने अपील पत्र मे ऐसी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य

प्रस्तुत नही की है जिससे अपीलार्थी के प्रत्यर्थी सं० 1 हजारी गुर्जर के यहा गोद जाने अथवा गोदपुत्र होने की पुष्टी हो सके। सरजु पत्नि हजारी, गंगा पत्नि हजारी सा० केलीखेडा की मृत्यूपरान्त अकंन परिवर्तित होकर मृतका के वैध प्रतिनिधी पति हजारी और पुत्रीया नारायणी दुर्गा के नाम पर नामान्तरकरण दर्ज अकंन कानुनन, न्यायिक दृष्टी से सही अकंन है।

अपील अपीलाण्ट आधारहीन तथ्यो पर प्रस्तुत हुआ माना जाकर व बैकन मियाद होने से खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)